अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
शिक्षा–विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ 9(स्काउट)अकाद/निकाशि/2012/ ५७५ दिनांक :– 14.12.12

समस्त प्राचार्य
राजकीय एवं निजी महाविद्यालय
राजस्थान

विषय :– 54वां रोवर मूट/40वीं रेंजर मीट के संदर्भ में।

समस्त प्राचार्यों (राजकीय एवं निजी महाविद्यालय) को निर्देशित किया जाता है, कि 54वां रोवर मूट/40 वीं रेन्जर मीट में रोवरिंग/रेन्जरिंग की वर्तमान में पंजीकृत एवं नई पंजीकृत क्रू/टीम के रोवर लीडर/रेन्जर लीडर के साथ प्रत्येक एक क्रू/टीम की न्यूनतम सहभागिता निम्नानुसार सुनिश्चित करते हुए दिनांक 2 जनवरी, 2013 तक सहभागियों (रोवर लीडर/ रेन्जर लीडर एवं रोवर/रेन्जर) की सूची सम्बंधित क्षेत्रीय सहायक निदेशक एवं राज्य समन्वयक (फैक्स 0141–2706550 एवं ईमेल ns.cce@rajasthan.gov.in) को प्रेषित करें।

प्रति एक रोवर क्रू/रेंजर टीम की न्यूनतम सहभागिता

पूर्व में पंजीकृत रोवर क्रू/रोवर टीम से 10 रोवर/10 रेंजर मय लीडर	नई पंजीकृत रोवर क्रू/रोवर टीम से 6 रोवर/6 रेंजर मय लीडर

वार्षिक कार्यक्रमानुसार रोवर/रेंजर की क्षमताओं शिविर जीवन, तकनीकी ज्ञान, प्रदर्शन, साहसिक गतिविधियों को विकसित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय रोवर मूट/रेंजर मीट का आयोजन इस वर्ष वृहद रूप में किया जा रहा है। इसमें निम्न सूचनाओं के अनुसार आवश्यक तैयारी सहित आवंटित संख्यानुसार रोवर्स/रेंजर्स को सम्मिलित करावें :–

-- नाम :– **राज्य स्तरीय 54वां रोवर मूट/40वीं रेंजर मीट**

-- थीम :– **सड़क सुरक्षा**

-- तिथियां :– 09 से 14 जनवरी 2013
प्रथम दिवस 10.00 बजे तक शिविर में पहुँचना आवश्यक है। प्रस्थान अंतिम दिन दोपहर बाद कर सकेगें।

- स्थान :– स्काउट/गाइड प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा, जयपुर

-- पहुँच :– **रेल्वे स्टेशन एवं बस स्टेण्ड से मिनी बस नं. 7 तथा अजमेरी गेट से 8 नंबर लो फ्लोर बस द्वारा शिविर केन्द्र पर पहुंचा जा सकता है।**

- सम्पर्क सूत्र :– **8003097583, 8003097155 (निदेशालय का सम्पर्क सूत्र – डॉ. सागरमल – 9414296111)**

- शुल्क :–

	रोवर/रेंजर	रोवर/रेंजर लीडर
बीमा शुल्क	10.00	20.00
पंजीकरण शुल्क	10.00	20.00
विकास शुल्क	20.00	30.00
योग	**40.00**	**70.00**

यह शुल्क प्रति शिविरार्थी की दर से शिविर में पहुँचते ही जमा कराना होगा। शुल्क संबंधित महाविद्यालय कोष से देय होगा।

-- पंजीकरण :– संलग्न पंजीकरण प्रपत्र पूर्ण व सही प्रविष्ठियों सहित दिनांक 30.12.12 तक मण्डल मुख्यालय को भेजकर पंजीकरण कराया जावे, यह आवश्यक है।

- योग्यता :– 1. रोवर/रेंजर के रूप में क्रू/टीम की सदस्यता हो।
2. 30.12.12 को 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 25 वर्ष से अधिक न हो। पूर्णतः स्वस्थ हों।

-- मंडलवार आवंटित संख्या :– प्रति मण्डल रोवर रेंजर की सहभागिता का आवंटन निम्नानुसार है : –
अजमेर, 250+50, भरतपुर 125+25, बीकानेर 450+100, जयपुर 500+100
जोधपुर 250+50, कोटा 250+100, उदयपुर 200+100,
कुल संख्या – 1975 रोवर, 525 रेन्जर = 2500 रोवर/रेन्जर

रोवर मूट/रेंजर मीट में आने के लिए दल को आवश्यक सामान जो लाना है, उसके लिए इसे अवश्य पढ़े। :–

(अ) **पोषाक अनिवार्य:**– रोवर व रोवर लीडर को ए.पी.आर.ओ. भाग–2 के अनुसार, प्रत्येक रोवर स्काउट को स्टील ग्रे स्काउट पैटर्न शर्ट, नेवी ब्लू पेन्ट, काले जूते लेसदार, काले मोजे, ग्रुप स्कार्फ, बोगल, स्काउट बैल्ट, नेवी ब्लू बैरट कैप तथा प्रत्येक रेंजर को ए.पी.आर.ओ. भाग–3 के अनुसार आसमानी कुर्ता (गाइड पैटर्न–टेनिस कॉलर शोल्डर स्ट्रिप, डबल पोकेट), सिल्वार गहरा नीला, सिल्वार के रंग की चुन्नी, काले रंग के जूते बिना लेसदार, सफेद कलर के जुर्राब, ग्रुप स्कार्फ, बोगल, गाइड बैल्ट तथा रेंजर लीडर को गहरे नीले रंग की साड़ी, सफेद कलर ब्लाउज (गाइड पैटर्न–टेनिस कॉलर शोल्डर स्ट्रिप, डबल पोकेट), काले रंग के जूते बिना लेसदार, केमल कलर के जुर्राब, ग्रुप स्कार्फ, बोगल, गाइड बैल्ट, पूर्ण एवं व्यवस्थित पोषाक साथ लावें एवं उपयोग करना अनिवार्य है। अन्यथा शिविर में भाग लेने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी। सर्दी में रोवर नेवी ब्लू जर्सी, रेंजर काले रंग का कार्डिगन पहन सकते हैं।

(ब) दैनिक कृत्यों से संबंधित व्यक्तिगत सामग्री, मौसम के अनुसार बिस्तर, बदलने के कपड़े, पेन–पेंसिल, नोट बुक, टार्च, लाठी, 3 मीटर सूत की रस्सी आदि अपने साथ लावें। इन दिनों सर्दी काफी तेज होती है, अतः गर्म जर्सी, स्वेटर, तथा बिस्तर में कम्बल, रजाई, गद्दा साथ लावें।

(स) टोली का सामान, तम्बू में बिछाने हेतु फर्श/जाजम, खाना खाने व चाय पीने के बर्तन, प्रतियोगिता एवं प्रदर्शन हेतु आवश्यक सामग्री, टोली का खाना, दाल–सब्जी, चाय–नाश्ता लेने हेतु आवश्यक बर्तन, भगौना, परात, केटली, गेजेट की सामग्री, सूतली आदि साथ लाना आवश्यक है।

- भोजन व्यवस्था आवास :– निःशुल्क उपलब्ध होंगे।

- अवकाश :– मूट/मीट में किसी प्रकार कर अवकाश नहीं दिया जावेगा। न ही शिविर स्थल छोडने की अनुमति दी जावेगी।
- शैक्षिक भ्रमण :– दर्शनीय स्थलों का भ्रमण बसों द्वारा कराए जाने की योजना है, जिस पर लगभग 200/– रू. प्रति संभागी व्यय होने की संभावना है। यह राशि कम/अधिक भी हो सकती है। यह राशि शिविर में आते ही जमा करानी होगी। भ्रमण व्यय का समायोजन शिविर स्तर पर ही किया जावेगा।
- यात्रा व्यय :– संबंधित महाविद्यालय द्वारा देय होगा।
- रेल्वे कन्सेशन :– संबंधित मण्डल मुख्यालय को पंजीकरण प्रपत्र के साथ नाम, आयु, लिंग, प्रस्थान का स्टेशन, पहुँच का स्टेशन आदि की सूचना तीन प्रतियों में बनाकर मण्डल से रेल्वे कन्सेशन बनवाया जा सकता है। इस कार्य को अविलंब करना सुनिश्चित करें। राजस्थान रोड़वेज/प्राइवेट बसें भी काफी संख्या में जयपुर आती है।

विशेष आकर्षण : (1) पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर के सहयोग से राज्यों की वैभवशाली लोक कलाओं का मंचन – सांस्कृतिक संध्या

(2) ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा एक शाम देशभक्तों के नाम रंगारंग आयोजन

- पुरस्कार :– प्रतियोगिताओं, प्रदर्शन एवं गतिविधियों में सभी की सहभागिता अनिवार्य है, निम्नानुसार पुरस्कार दिये जावेगा
  :– कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कने पर प्रत्येक क्रू/टीम व रोवर/रेंजर को सहभागिता प्रमाण पत्र।
  – 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर स्तर प्रमाण पत्र।
  – 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उच्च स्तर प्रमाण पत्र।
- अंतिम सूचना :– जिन रोवर/क्रू रेंजर टीम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण व सही पंजीकरण प्रपत्र मय निर्धारित शुल्क दिनांक 30.12.12 तक मण्डल मुख्यालय पर भिजवाकर पंजीकरण करा लिया जावेगा। उनके लिए योग्यता के आधार पर राज्य मुख्यालय से स्वीकृति स्वरूप अंतिम सूचना भिजवाई जावेगी। जिसे मूट/मीट में साथ लेकर आना अनिवार्य होगा। इस अभाव में रोवर्स/रेंजर्स को स्वीकार नहीं किया जावेगा, ध्यान देवें।

कृपया उपरोक्त व्यवस्थाओं के अनुसार अपने क्रू/टीम में रोवर्स/रेंजर्स को रोवर/रेंजर लीडर के नेतृत्व में सहभागिता कराने की व्यवस्था करावें।

संलग्न : इस परिपत्र के साथ 5 पम्पलेट भेजे जा रहे हैं, जिसे कॉलेज के नोटिस बोर्ड/अन्य प्रमुख स्थानों पर चिपकायें।

सधन्यवाद

भवदीय

(नवीन जैन)
निदेशक एवं
स्टेट कमिश्नर (रोवरिंग)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ 9(स्काउट)अकाद/निकाशि/2012/ ९७५ *दिनांक :– 14.12.12*

प्रतिलिपि :-

1. राज्य सचिव, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय, जयपुर
2. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर/अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के राजकीय व निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित कर सम्बन्धित महाविद्यालय के रोवर/रेंजर लीडर एवं रोवर/रेंजरर्स की सहभागिता सुनिश्चित करवायें एवं दिनांक 03 जनवरी 2013 रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह परिपत्र हर महाविद्यालय में प्राचार्य/रोवर लीडर/रेंजर लीडर तक पहुँचे, यह सुनिश्चित करें।
3. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट प्रभारी– अपलोड करें।

राज्य समन्वयक (एन.एस.एस.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर